

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. डी.डी.नगर भिण्ड रोड ग्वालियर  
विधानसभा क्र. 745 माननीय विधायक श्री प्रवीण पाठक  
प्रपत्र क्र.-1


क्र.	जांचकर्ता/माप सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण/माप सत्यापन का दिनांक	यदि कोई कमी पाई गई है तो उसका विवरण	टीप
1	श्री एल.एन. भारती अतिरिक्त परियोजना संचालक पी.आई.यू. ग्वालियर	5		5
1	श्री एल.एन. भारती अतिरिक्त परियोजना संचालक पी.आई.यू. ग्वालियर	28/06/2019, 29/06/2019	पाकिंग हेतु वेसमेन्ट का प्रावधान नहीं किया गया।	
2	श्री एस. के. मस्के, अतिरिक्त परियोजना संचालक पी.आई.यू. ग्वालियर	01-08-19	1. टेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर प्रयोगशाला मानकानुसार स्थापित नहीं की गई। 2. कार्यस्थल पर जंग लगा हुआ लोहा पाया गया।	प्रयोगशाला स्थापित हेतु निर्देश दिये
3	1. श्री सी. पी. अग्रवाल मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) भोपाल 2. श्री एल. के. डुबे मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग	26-02-20	तकनीकी कमियां :- 1. भवन के रूपांकन में कितनी एस.बी.सी. ली गई है व कार्य स्थल पर कितनी अतिरिक्त एस.बी.सी. प्राप्त हुई? इसके विवरण सहित एस.बी.सी. के परीक्षण परिणाम प्रेषित करें। 2. निर्माणाधीन भवन में आर.सी.सी. कॉलम की कास्टिंग लगभग 20 मी. से 2.5 मी. में एक ही लिफ्ट में किया जाना पाया गया है, जबकि सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेशीफिकेशन के क्लॉज 5.4.2.4 (सी) अनुसार आर.सी.सी. कॉलम की कास्टिंग 1.50 से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसका पालन नहीं होने से भूल एवं अन्य त्रुटि पर निर्मित कॉलम के सबसे नीचे वाले भाग में गिट्टी का स्प्रेडिंग होना व हनिकाब भी परिलक्षित होना पाया गया। जिससे नीचे हिस्से की कांक्रिट हथौड़े से हल्की चौट से निकलना पाया गया इससे आर.सी.सी. कॉलम की वांछित स्ट्रेंथ प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः संबंधित स्टाफ एवं एजेन्सी को मापदण्डानुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावे। 3. कांक्रिट कार्य हेतु एम 25 ग्रेड कांक्रिट का उपयोग किया जाना बताया गया, अतः इसके मिक्स डिजाइन की अनुमोदित छायापत्रि प्रेषित करें। 4. कॉलम व बीम के अधिकांश जॉइंट पर फिनिशिंग की कमी व मरम्मत किया जाना परिलक्षित है। मापदण्डानुसार फिनिशिंग कार्य पर प्रतिवेदन दें। 5. भवन में प्लोर कार्य करते समय स्काटिंग को दीवार के प्लास्टर के साथ फलश किया जावे, इस संबंध में परियोजना संचालक लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल द्वारा सर्कुलर क्र. 2943 दिनांक 26.09.2015 को पालन सुनिश्चित करें।	एन्टीरस्ट कास्टिंग ट्रिटमेंट के साथ लोहे का प्रयोग करने हेतु निर्देश दिये तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) भोपाल से निरीक्षण प्रतिवेदन इस कार्यालय को दिनांक 16.06.2020 को प्राप्त हुआ है। टेकेदार एवं परियोजना यंत्री से पालन प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रेषित किया जावेगा।

Under Secretary  
Govt. of Madhya Pradesh  
Dept. of Medical Education

कृपया ध्यान दें  
कृपया ध्यान दें

ली.एस.के. 745  
परिभाषा-1

अधिकारी/माप सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण/माप सत्यापन का दिनांक	यदि कोई कमी पाई गई है तो उसका विवरण	टीप
2	5	6	5
श्री डी.एम. विसरे कार्यपालक यंत्री लोक निर्माण विभाग	26-02-20	<p>6. कॉलम/बीम में लगाई जा रही स्टीप्स में बार के अंतिम छोर को 90 डिग्री पर बैंड किया जाना पाया गया, जबकि 135 डिग्री पर बैंड किया जाना चाहिये था।</p> <p>7. कार्य स्थल पर अम्बा शक्ति स्टील का उपयोग किया जा रहा है। एन.ए.वी.एल. लैब से इसके परीक्षण किये जाकर परिणाम प्रस्तुत करें।</p> <p>8. भवन में रैन वाटर पाईप/स्वार्डल/वेस्ट पाईप का कार्य किया जाना है यह कार्य करते समय फिक्स करने हेतु लोहे के फ्रेम तैयार कराकर पहले ब्रेकिट्स को दीवार में फिक्स करें, तत्पश्चात् पाईप को क्लैम्प से फिक्स करने का कार्य करावे।</p> <p>9. कार्य स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला में सी-ब्लॉक के तृतीय तल पर कास्ट किये गये कॉलम की कॉक्रीट के क्यूब का परीक्षण किया गया इसकी स्ट्रेंथ 42.13 व 45.18 एन/एम.एम वर्ग मानक के अनुकूल पाया गया है।</p> <p>10. पर्यावरण की दृष्टि से भवन परिसर की रिक्त भूमि में वृक्षारोपण करवाने एवं रैन वाटर हार्वैस्टिंग करवाया जावे।</p> <p>11. भवन निर्माण कार्य में ए.सी. ब्लॉक के उपयोग के समय तकनीकी सावधानियों के संबंध में मुख्य तकनीक परीक्षक (सतर्फता) संगठन द्वारा जारी पत्र क्र. 7022 दिनांक 30.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये समस्त तकनीकी बिन्दुओं का पालन किया जाना सुनिश्चित करें, तथा ए.ए.सी. ब्लॉक के परीक्षण परिणाम प्रेषित करें।</p> <p>12. भवन में पानी की व्यवस्था किस प्रकार की जावेगी? व सीकेज डिस्पोजल से संबंधित किये गये प्रावधान की जानकारी प्रेषित करें।</p> <p>13. डी.पी.ई. से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण टीप व पालन टीप प्रति प्रेषित करें।</p>	
श्री सी. टेन्टवाल संभागीय योजना संचालक पी.आई.यू. ग्वालियर	01-11-19	कॉक्रीटिंग कार्य में वाटर सीमेन्ट का अनुपात निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया।	वाटर सीमेन्ट अनुपात को नियंत्रित करने हेतु निर्देश दिये।
-तदैव-	11-12-19	कॉक्रीटिंग की मिक्सिंग प्लान्ट में प्रिन्टर इन्स्टॉल नहीं है।	प्रिन्टर इन्स्टॉल करने हेतु निर्देश दिये।

  
 Under Secretary  
 Govt. of Madhya Pradesh  
 Dept. of Medical Education  
 लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. ग्वालियर  
 संभागीय परियोजना यंत्री

(उपजाय देव बर्मा)  
 निमित्त सहायिका (S.A.O.)